भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 698
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी

698. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री तमिलसेल्वन थंगा:
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:
श्री इटेला राजेंदर:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि 7 और 8 नवम्बर, 2025 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी/नैवीगेशन में स्पूफिंग के कारण 800 से अधिक उड़ानों में विलंबित/रद्द कर दी गई थीं और एक लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए थे और यदि हां, तो एयरलाइनों को हुए कुल नुकसान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भविष्य में बढ़ते हवाई यातायात से निपटने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को व्यस्त विमानपत्तनों पर प्रणालियों का उन्नयन करने के लिए कोई उपयुक्त निर्देश दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रख-रखाव अथवा साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियों का पता लगाने के लिए इस घटना की जांच का आदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रणाली को सुदृढ़ करने और समय पर बैकअप सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई/उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): दिनांक 06.11.2025 को भारतीय मानक समय (आईएसटी) 11:00 बजे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम (एटीएमएएस) और अन्य हितधारकों को हवाई वायु यातायात सेवा (एटीएस) संदेशों की प्रोससिंग और वितरण में अत्यधिक विलंब देखा गया, जिसके कारण उड़ान की योजना (एफपीएल), अनिवार्य उड़ान

सूचना केंद्र (एफआईसी) संख्या जारी करने और वायु रक्षा मंजूरी सहित एयरोनॉटिकल फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क (एएफटीएन) संदेशों के वितरण में विलंब हुआ जिस कारण 06.11.2025 से 08.11.2025 के दौरान 397 अनुसूचित यात्री प्रस्थानों में देरी हुई। प्रतिकूल मौसम की स्थिति, भीड़भाड़ या तकनीकी मुद्दों के कारण परिचालन में किसी भी व्यवधान के मामले में, एयरलाइनें ऐसे कारकों के कारण अतिरिक्त व्यय करती है और इसलिए एक विशिष्ट मुद्दे से उत्पन्न होने वाले नुकसान की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ख) से (घ): ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, एएआई ने नई हवाई यातायात सेवा संदेश हैंडलिंग प्रणाली (एएमएचएस) के साथ मौजूदा आईपी-आधारित स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली (एएमएसएस) का प्रतिस्थापन किया है। इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को, हवाईअड्डों पर सभी संचार, दिक्चालन और निगरानी (सीएनएस) उपकरणों की व्यापक संपरीक्षा करने का निर्देश दिया गया है ताकि इन उपकरणों की स्थिति, प्रचालन विश्वसनीयता और जीवन चक्र प्रबंधन का मूल्यांकन किया जा सके। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दिल्ली हवाईअड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से संबंधित एएमएसएस प्रणाली का निरीक्षण किया है। तदनुसार, मौजूदा डेटाबेस सर्वर को प्रणाली प्रदर्शन में सुधार के लिए नए उन्नत संस्करण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

******